राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,
आई.टी.शाखा, मुख्यालय,जयपुर।
फो.नं. 0141–2374644, ई–मेल – dgmit.rsrtc@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ3 / मुख्या. / सां. / आई.टी. / 23 / 429 दिनांक :–14.07.2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1022 दिनांक 01.01.2021 के द्वारा राजस्थान पुलिस के कान्सटेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कर्मियों को निगम की बसों में आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड जारी होने तक, उनके विभागीय परिचय पत्र के आधार पर यात्रा सुविधा अनुमत की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अधिकांशतः पुलिस एवं एसीबी कर्मियों के आरएफआईडी स्मार्ट जारी किये जा चुके है।

अतः महानिरीक्षक महोदय पुलिस के अनुरोध पर दिनांक 15.08.2023 से पुलिस एवं एसीबी कर्मियों (कान्सटेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक) को केवल आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड को ईटीआईएम मशीन पर स्वैप करने पर ही यात्रा अनुमत होगी। पुलिस एवं एसीबी कर्मी अब केवल आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड को ईटीआईएम मशीन पर स्वैप कर निगम वाहनों (साधारण एवं द्रुतगामी) में निःशुल्क यात्रा कर सकेगें। दिनांक 15.08.2023 से मात्र परिचय पत्र के आधार पर यात्रा सुविधा अनुमत नहीं होगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :– एफ3 / मुख्या. / सां. / आई.टी. / 23 / 429 दिनांक :–14.07.2023

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं प्रमुख शासन सचिव, गृह, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार समस्त एसीबी कर्मियों को सूचित करने का श्रम करावें।
3. निजी सचिव, श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीरण एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, राजस्थान को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार समस्त पुलिस कर्मियों को सूचित करने का श्रम करावें।
4. निजी सचिव, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
5. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (यातायात), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
6. महाप्रबन्धक (यातायात), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
7. समस्त मुख्य प्रबन्धक, रापनि, ... आगार को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अक्षरशः पालना करावें।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (याता.)